केन्द्रीय विद्यालय संगठन
(शिक्षा मंत्रालय,भारत सरकार के अधीन स्वायत्त निकाय)
क्षेत्रीय कार्यालय
पो. : लोहियानगर, कंकड़बाग
पटना- 800 020 (बिहार)
वेबसाइट : www.ropatna.kvs.gov.in
ई-मेल: kvsropatna@yahoo.com, kvsropatnadc@gmail.com

तत् त्वं पूषन् अपावृणु
केन्द्रीय विद्यालय संगठन
आज़ादी का अमृत महोत्सव

KENDRIYA VIDYALAYA SANGATHAN
[An Autonomous Body under Ministry of Education, Govt. of India]
REGIONAL OFFICE
P.O.: Lohia Nagar, Kankarbagh
Patna – 800 020 (Bihar)
Telephone No. 0612- 2361701(AO),2361831(FO)

फा. 28029/2023/केविसं पसं (प्रशा.)/ 9739 - 93

दिनांक 28.06.2023 30
ई-मेल

प्राचार्य
समस्त केन्द्रीय विद्यालय
पटना संभाग

विषय- अन्य पिछड़ा वर्ग कन्या आवासीय+2 उच्च विद्यालय में माध्यमिक शिक्षक (स्नातक प्रशिक्षित) (TGT) के हिन्दी एवं विज्ञान विषय के रिक्त पदों के विरुद्ध राज्य सरकार के विद्यालयों से सेवानिवृत स्नातक शिक्षक एवं जवाहर नवोदय विद्यालय/केन्द्रीय विद्यालय से सेवानिवृत स्नातक प्रशिक्षित शिक्षक को संविदा नियोजन किये जाने हेतु प्रकाशित विज्ञापन के प्रचार-प्रसार के संबंध में।

महोदय,

निदेशक, पिछड़ा एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण निदेशालय, बिहार सरकार के पत्रांक दिनांक 27.06.2023 (प्रति संलग्न) की प्रति आपके सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाई हेतु परिचालित है।

भवदीया

संलग्नक- यथोपरि ।

सोमा घोष 28/6/23
(सोमा घोष)
उपायुक्त प्रभारी

वितरण-

1. निदेशक, पिछड़ा एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण निदेशालय, बिहार सरकार को सूचनार्थ प्रेषित।
2. अध्यक्ष/महासचिव, AIKVTA & KVPSS पटना संभाग को सूचनार्थ प्रेषित।
3. गार्ड फाइल।

Gt

बिहार सरकार

पिछड़ा एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण निदेशालय

सं०सं०–पि०व०/7/आ०क०वि०प्र० एवं संधा०–39–18/2023– 393 अ०प्र०

प्रेषक,

डॉ० वीरेन्द्र प्रसाद यादव (भा०प्र०से०),

निदेशक।

सेवा में,

उपायुक्त,
केन्द्रीय विद्यालय संगठन, क्षेत्रीय कार्यालय, पटना,
लोहिया नगर, कंकड़बाग, पटना–20
Email- kvsropatnadc@gmail.com/kvsropatna@yahoo.com

उपायुक्त,
नवोदय विद्यालय समिति, क्षेत्रीय कार्यालय, कर्पूरी ठाकुर सदन,
केन्द्रीय कार्यालय परिसर, ब्लॉक–A और B पाँचवी मंजिल, आशियाना दीघा रोड,
पटना–800025
Email-nvspatnaestt1@gmail.com

पटना, दिनांक– 27/06/2023

विषयः– अन्य पिछड़ा वर्ग कन्या आवासीय +2 उच्च विद्यालय में माध्यमिक शिक्षक (स्नातक प्रशिक्षित) (TGT) के हिन्दी एवं विज्ञान विषय के रिक्त पदों के विरूद्ध राज्य सरकार के विद्यालयों से सेवानिवृत्त स्नातक शिक्षक एवं जवाहर नवोदय विद्यालय/केंद्रीय विद्यालय से सेवानिवृत्त स्नातक प्रशिक्षित शिक्षक को संविदा नियोजन किये जाने हेतु प्रकाशित विज्ञापन के प्रचार–प्रसार के संबंध में।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग द्वारा 27 जिलों यथा, अररिया, अरवल, औरंगाबाद, कटिहार, किशनगंज, कैमूर, खगड़िया, गोपालगंज, जहानाबाद, जमुई, नवादा, नालन्दा, पश्चिम चम्पारण, पूर्वी चम्पारण, बक्सर, बाँका, बेगूसराय, भोजपुर, मधुबनी, मधेपुरा, लखीसराय, वैशाली, शिवहर, शेखपुरा, सीतामढ़ी, सीवान एवं सुपौल में वित्तीय वर्ष 2023–24 में अन्य पिछड़ा वर्ग कन्या आवासीय+2 उच्च विद्यालय संचालित किया जाना है।

उक्त विद्यालय के संचालन हेतु माध्यमिक शिक्षक (स्नातक प्रशिक्षित) (TGT) के हिन्दी एवं विज्ञान विषय के रिक्त पदों के विरूद्ध राज्य सरकार के विद्यालयों से सेवानिवृत्त स्नातक शिक्षक एवं जवाहर नवोदय विद्यालय/केंद्रीय विद्यालय से सेवानिवृत्त स्नातक प्रशिक्षित शिक्षक को संविदा के आधार पर राज्य सरकार की आरक्षण नीतियों के अधीन नियोजित किये जाने हेतु विज्ञापन प्रकाशित किया जा चुका है (प्रकाशित विज्ञापन की प्रति संलग्न)।

अतः अनुरोध है कि अन्य पिछड़ा वर्ग कन्या आवासीय+2 उच्च विद्यालय के माध्यमिक शिक्षक (स्नातक प्रशिक्षित) (TGT) के हिन्दी एवं विज्ञान विषय के रिक्त पदों के विरूद्ध जवाहर नवोदय विद्यालय/केंद्रीय विद्यालय से सेवानिवृत्त स्नातक प्रशिक्षित शिक्षक को आवेदन करने के निमित अपने कार्यालय के सूचना पट्ट पर विज्ञापन प्रदर्शित करने की कृपा की जाय। साथ ही, सेवानिवृत्त शिक्षकों के सोशल मिडिया ग्रुप में भी विज्ञापन प्रचारित करने की कृपा की जाय।

अनु0–यथोक्त।

विश्वासभाजन

(डॉ० वीरेन्द्र प्रसाद यादव)
निदेशक।

D:/Rajneesh ACDC/Draft 4/yp

बिहार सरकार
पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग

सेवानिवृत्त शिक्षकों के नियोजन हेतु विज्ञापन

पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग के अंतर्गत 27 जिलों यथा, अररिया, अरवल, औरंगाबाद, कटिहार, किशनगंज, कैमूर, खगड़िया, गोपालगंज, जहानाबाद, जमुई, नवादा, नालन्दा, पश्चिम चम्पारण, पूर्वी चम्पारण, बक्सर, बाँका, बेगूसराय, भोजपुर, मधुबनी, मधेपुरा, लखीसराय, वैशाली, शिवहर, शेखपुरा, सीतामढ़ी, सीवान एवं सुपौल में अन्य पिछड़ा वर्ग कन्या आवासीय +2 उच्च विद्यालय वित्तीय वर्ष 2023-24 से संचालन किया जा रहा है।

2. इन आवासीय विद्यालयों में माध्यमिक शिक्षक (स्नातक प्रशिक्षित) (TGT) के स्वीकृत पद में से हिन्दी एवं विज्ञान विषय के निम्नांकित रिक्त पदों पर राज्य सरकार के विद्यालयों से सेवानिवृत्त स्नातक शिक्षक एवं विभागीय संकल्प सं0–1292, दिनांक–07.06.2023 के द्वारा पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग के अंतर्गत संचालित अन्य पिछड़ा वर्ग कन्या आवासीय +2 उच्च विद्यालयों में स्नातक शिक्षक/स्नातकोत्तर शिक्षक के पद पर जवाहर नवोदय विद्यालय/केन्द्रीय विद्यालयों से सेवानिवृत्त स्नातक/स्नातकोत्तर प्रशिक्षित शिक्षकों को उक्त पदों पर नियमित नियुक्ति होने तक के लिए सामान्य प्रशासन विभाग के संकल्प सं0–10000, दिनांक–10.07.2015 में विहित हू–ब–हू संविदा नियोजन की अन्य शर्तों के अधीन राज्य सरकार की आरक्षण नीतियों के अधीन संविदा नियोजित किये जाने हेतु विहित प्रपत्र में आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते है :-

क्र0 सं0	शिक्षकों की श्रेणी	विषय	रिक्त पदों की संख्या
1	माध्यमिक शिक्षक (स्नातक प्रशिक्षित) (TGT)	हिन्दी	27
2		विज्ञान	27

3. सेवानिवृत्त शिक्षकों का नियोजन सामान्य प्रशासन विभाग के संकल्प संख्या–10000, दिनांक–10.07.2015 में निहित प्रावधानों के तहत किया जायेगा, जिसमें निम्नांकित शर्तें रहेगी :–
" चयन हेतु उम्मीदवार की अधिकतम उम्र सीमा 65 वर्ष होगी। चयन प्रथमतः दो वर्षों अथवा उक्त पद पर नियमित नियुक्ति होने तक के लिए होगा तथा अधिकतम उम्र सीमा 65 वर्ष तक आवश्यकतानुसार एक–एक साल के लिए उनकी सेवा विस्तार उनके कार्यों की समीक्षा के उपरांत किया जा सकेगा।
4. संविदा पर नियोजित सेवानिवृत्त शिक्षकों का मासिक मानदेय उन्हें प्राप्त होने वाले अंतिम वेतन + सेवानिवृत्ति के समय अंतिम वेतन पर प्राप्त महंगाई भत्ता के योगफल की राशि में से पेंशन की राशि + सेवानिवृत्ति के समय पेंशन की राशि पर प्राप्त महंगाई भत्ता की राशि को घटाने के बाद जो राशि प्राप्त होगा वही देय होगा।
5. सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना का पत्रांक–13522, दिनांक–17.11.2021 के अनुसार नई अंशदायी पेंशन योजना से आच्छादित संविदा पर नियोजित कर्मियों के लिए निर्धारित मानदेय देय होगा।
6. आवेदक को आवेदन के साथ इस आशय का शपथ–पत्र देना होगा कि उनके विरूद्ध निगरानी का मामला, विभागीय कार्यवाही, गंभीर आरोप, आपराधिक मामला दर्ज/विचाराधीन नहीं है।
7. सेवानिवृत्त शिक्षक संबंधित जिले (किसी एक जिले में) के जिला पिछड़ा एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण पदाधिकारी के कार्यालय में आवेदन पत्र विहित प्रपत्र में विज्ञापन प्रकाशन की तिथि से 15 दिन तक समर्पित करेंगे। निर्धारित तिथि के बाद समर्पित आवेदन पत्रों पर विचार नहीं किया जायेगा।
8. सामान्य प्रशासन विभाग के संकल्प सं0–10000, दिनांक–10.08.2015 एवं विभागीय संकल्प सं0–1292, दिनांक–07.06.2023 में निहित प्रावधान के आलोक में सेवानिवृत्त शिक्षकों की नियोजन हेतु चयन जिला पदाधिकारी के स्तर पर गठित चयन समिति के अनुशंसा के आधार पर विभाग द्वारा किया जायेगा।
9. राज्य सरकार द्वारा निर्धारित आरक्षण प्रतिशत के साथ–साथ सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा समय–समय पर निर्गत परिपत्रों के आलोक में महिलाओं, दिव्यांगो, स्वतंत्रता सेनानी के पोता–पोती/नाती नतिनी के लिए क्षैतिज आरक्षण देय होगा।

P.T.O

10. सेवानिवृत्त शिक्षकों को आवासन की सुविधा उपलब्ध रहने की स्थिति में पदस्थापित आवासीय विद्यालय के परिसर में ही आवासित रहना होगा। आवासन की सुविधा उपलब्ध नहीं रहने पर अपना आवासीय पता एवं संपर्क दूरभाष/मोबाईल न0 विद्यालय को उपलब्ध कराना होगा।
11. चयनित सेवानिवृत्त शिक्षकों को विद्यालय द्वारा विहित/निदेशित विशेष कक्षा का संचालन करना होगा तथा शिक्षण कार्यों के अतिरिक्त विद्यालय प्रधान/विभाग द्वारा समय–समय पर सौंपे गये कार्यों का सम्पादन करना होगा।
12. अन्य पिछड़ा वर्ग कन्या आवासीय +2 उच्च विद्यालयों की सूची, आवेदन प्रपत्र तथा विषयवार एवं आरक्षण कोटिवार रिक्ति की सूचनाएं विभागीय वेबसाईट https://state.bihar.gov.in/bcebcwelfare पर उपलब्ध रहेगी।
13. चयनित शिक्षकों की सेवा/देयता राज्य के किसी भी अन्य पिछड़ा वर्ग आवासीय +2 उच्च विद्यालय के लिए होगा।
14. बिना कोई कारण बताए विज्ञापन को रद्द करने का अधिकार अधोहस्ताक्षरी के पास सुरक्षित रहेगा।

(हस्ताक्षर) 2/6/2023

उप निदेशक।

D:/Rajneesh ACDC/• OBC School Post creation/Bigyapan/vp